पटना में दिनांक–29 जनवरी, 2026 वृहस्पतिवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक ₹1200/–वार्षिक, कक्षा–V से VI तक ₹2400/–वार्षिक, कक्षा–VII से X तक ₹3600/– वार्षिक, कक्षा–I से X तक(छात्रावासी) ₹6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं दर संशोधन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹519.64 करोड़ (पाँच सौ उन्नीस करोड़ चौसठ लाख रू०) मात्र की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र प्रायोजित "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" तथा राज्य स्कीम से संचालित "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" अन्तर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 में संशोधन तथा इससे संबंधित संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

3. संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025–30 (Revised Bihar DRR Roadmap 2025-30) की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

4. भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर बक्सर जिले के डुमराँव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–302, दिनांक–24.02.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कुल राशि रू० 14,52,15,000 (चौदह करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की योजना की स्वीकृति रद्द करते हुए राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रस्तावित इस संगीत महाविद्यालय के विभिन्न भवनों (फर्नीचर सहित), आंतरिक पथ एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु कुल रू० 87,81,43,400/– (सत्तासी करोड़ इक्यासी लाख तैंतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

5. नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु इस विभाग के सचिवालय के अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 161 (एक सौ एकसठ) पदों के सृजन तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित उच्च शिक्षा निदेशालय को कार्यबल सहित वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

गृह विभाग

6. पटना जिलान्तर्गत बिहार विशेष सशस्त्र बल–01, गोरखा वाहिनी के स्थापना एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अंचल–नौबतपुर, मौजा–चर्रा, थाना नं०–139 अन्तर्गत रकवा–30.00 एकड़ चिन्हित भूमि का MVR-2016-17 के आधार पर भू–अर्जन के निमित्त अनुमानित प्राक्कलित राशि ₹40,54,41,038 (चालीस करोड़ चौवन लाख इकतालीस हजार अड़तीस रू०) मात्र की स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

7. बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) को आदेश निर्गत की तिथि से वर्द्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कुल 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (Ex-Army) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex-Paramilitary, CAPF) को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

8. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131झ (छ) के आलोक में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में टॉय ट्रेन के पुनः परिचालन के क्रम में नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से ब्रीज रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम एवं अन्य कार्य कराने हेतु कुल ₹581.73 लाख (पाँच करोड़ एकासी लाख तेहत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2025–26 से ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना'' के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू० 1000/–(रू० एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू० 2000/–(रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निधारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 19,56,00,000/–(रू० उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

9. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2026–27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू० 1,50,000/–मात्र को बढ़ाकर रू० 3,00,000/–मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 1,17,98,40,000/–(रू० एक सौ सत्रह करोड़ अंठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक रू० 1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक रू० 2400/–वार्षिक, कक्षा–VII से X तक रू० 3600/–वार्षिक, कक्षा–I से X तक (छात्रावासी) रू० 6000/–वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 17,51,56,00,000/–(रू० सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

12. राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान यथा–भारतीय बीज सहकारी समिति लि० (BBSSL) एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक लि० (NCOL) हेतु राज्य स्तर के सरकारी संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम (BRBN) तथा बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी (BSSOCA) को 'राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी' नामित किये जाने के संबंध में।

12. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

13. बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14.	केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि कुल ₹40,00,00,000/–(चालीस करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15.	बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति।	15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16.	"बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2026" की स्वीकृति के संबंध में।	16. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

17.	"बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कन्डक्ट (1st एमेन्डमेंट) रूल्स, 2026" की स्वीकृति।	17. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

18.	बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (जी०सी०सी०) नीति–2026 की स्वीकृति।	18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19.	राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में अबतक लम्बित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु रू० 5,00,00,00,000/– (रूपये पाँच अरब) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	19. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

20.	राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 1700.00 करोड़ (एक हजार सात सौ करोड़ रूपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि (बी०सी०एफ०) से प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	20. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21.	भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार निवास, नई दिल्ली पर अधिरोपित अधिभार से संबंधित राशि का भुगतान "आपत्ति सहित (Under Protest)" किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रूपये 6,01,48,000/–(छः करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति।	21. स्वीकृत।

गृह विभाग

22. गृह विभाग, बिहार, पटना से सेवा निवृत्त एवं वर्तमान में संविदा पर नियोजित श्री रंजीत शंकर प्रसाद, (बिहार अभियोजन सेवा) जिला अभियोजन पदाधिकारी (नया पदनाम मुख्य अभियोजक) की संविदा अवधि को पूर्व से निर्धारित दर एवं शर्तों के आधार पर अगले 01 (एक) वर्ष (दिनांक–01.02.2026 से 31.01.2027) तक विस्तारित करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में प्रयुक्त पदनाम–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष–को "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष" के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी" के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किये जाने हेतु नियमावली में अनुसूची–1 के पश्चात अतिरिक्त अनुसूची–02 जोड़े जाने के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

24. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

25. "बिहार इको–टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी" के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उप–नियम 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

26. बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

27. बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

28. राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ–साथ अन्य विभागों से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन के एकीकृत प्रबंधन एवं नियमन हेतु "बिहार राज्य विपणन प्राधिकार" के गठन, बिहार सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इसके निबंधन एवं इससे संबंधित "संगम ज्ञापन एवं नियम" की स्वीकृति के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

29.	"बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026" के गठन के संबंध में।	29. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

30.	राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर भू–राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन तथा अनुमंडल एवं जिला के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिये मूल कोटि के अपुनरीक्षित पे बैंड–9,300 –34,800/–, ग्रेड पे–5,400/–तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–9 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदनाम से कुल–101 पदों का स्थायी रूप से सृजन के संबंध में।	30. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

31.	बिहार राज्य के सात निश्चय–3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की संभाव्यता (Feasibility) के बिन्दु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि० की सेवा लिए जाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए दर की स्वीकृति के संबंध में।	31. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

32.	नवगठित "सिविल विमानन विभाग" में विभिन्न संवर्ग के 99 नये पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित/हस्तांतरण किये जाने/पूर्व से सृजित 04 पदों के प्रत्यर्पण/कतिपय पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन तथा कतिपय पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण के संबंध में।	32. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

33.	बिहार विधान मंडल के बजट सत्र, 2026 के अवसर पर दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के संबंध में।	33. स्वीकृत।

वित्त विभाग

34. संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन माननीय राज्यपाल की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यक", "अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल" तथा मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए "निष्पादन लेखा परीक्षा–सिविल" एवं 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024–25 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2) तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में। — 34. स्वीकृत।

वित्त विभाग

35. वित्तीय वर्ष 2026–27 का वार्षिक वित्तीय विवरण बिहार विधान मंडल के समक्ष एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 बिहार विधान सभा के समक्ष उपस्थापित करने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

36. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 7(2)(ढ) एवं धारा 24 में संशोधन कर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

विधि विभाग

37. बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित बिहार सिविल न्यायालय, विधेयक, 2021 को वापस लिये जाने तथा बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 37. स्वीकृत।